01 दिसंबर, 2008

विषय : आरओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के पुनर्गठन के लिए संशोधित नीति मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तारीख 16.10.2008 के अपने पत्र क्र.पी-19011/5/2005 - आईओसी के तहत् आरओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के पुनर्गठन पर एक विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत सूचित किया है।

   यह मार्गदर्शी सिद्धांत पुनर्गठन पर पूर्व के सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों के स्थान पर होंगे। उक्त पर आधारित, 1-12-2008 से प्रभावी निम्नलिखित नीति मार्गदर्शी सिद्धांत कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।

2. **लेटर ऑफ इंटेट (एलओआई) स्तर पर पुनर्गठन**

   निम्नलिखित शर्तों के सिवाय, डीलरशिप की चाहे जो भी श्रेणी हो, एलओआई स्तर पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के किसी भी पुनर्गठन की अनुमति नहीं होगी :

   2.1 मृत्यु होने पर अथवा गंभीर बीमारी/दुर्घटना के परिणामस्वरूप पूर्ण और स्थायी असमर्थता (जो एलओआई धारक को कार्य करने अथवा कोई व्यवसाय या पेशा करने से अयोग्य करता हो) के कारण विकलांग होने पर निम्नलिखित रूप में वैध उत्तराधिकारी की पात्रता के अधीन एलओआई स्तर पर पुनर्गठन के लिए विचार किया जाएगा:

   2.2 जहाँ एलओआई धारक द्वारा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए पर्याप्त निवेश किया गया है:

(i) एलओआई को मृतक/विकलांग एलओआई धारक के वैध उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किया जाएगा।

(ii) साझेदारी के मामले में, मृतक/विकलांग मूल साझेदार के वैध उत्तराधिकारी के साथ पुनर्गठन की अनुमति दी जाएगी।

(iii) वैध उत्तराधिकारी को मल्टीपल डीलरशिप मानकों और अन्य पात्रता मानदंडों, आयु और शैक्षिक योग्यता को छोड़कर, एलओआई धारक के चयन के समय प्रचलित खुली श्रेणी के अंतर्गत (और जहाँ लागू हो, एससी/एसटी के लिए संबंधित और उचित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए) डीलर चयन के लिए जैसा लागू हो, की पूर्ति करनी होगी।

(iv) वैध उत्तराधिकारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता 18 वर्ष होगी । यदि वैध उत्तराधिकारी नाबालिग है तो जब तक वैध उत्तराधिकारी बालिग नहीं हो जाता है डीलरशिप का प्रचालन स्थानीय संरक्षक करेगा।

(v) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का कोई भी मानदंड नहीं होगा। फिरभी, उम्मीदवार को पढ़ना, लिखना और गिनना अवश्य आना चाहिए।

..2/-

2.3 जहाँ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है :

(i) व्यक्तिगत आबंटन के मामले में, वैध उत्तराधिकारी को मूल एलओआई धारक के चयन के समय प्रचलित निर्धारित मूल्यांकन मानदंड के अनुसार अगले सूचीबद्ध उम्मीदवार की तुलना में मूल्यांकित किया जाएगा।

(ii) साझेदारी के आबंटन के मामले में, मृतक/विकलांग साझेदार के वैध उत्तराधिकारी के साथ जीवित साझेदारों द्वारा बनाई गई नई साझेदारी की उम्मीदवारी को मूल एलओआई धारक के चयन के समय प्रचलित निर्धारित मूल्यांकन मानदंड के अनुसार अगले सूचीबद्ध उम्मीदवार की तुलना में मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii) सभी मामलों में, वैध उत्तराधिकारी को खुली श्रेणी के अंतर्गत डीलर चयन के लिए यथा लागू मल्टीपल डीलरशिप मानक और अन्य पात्रता मानदंडों की पूर्ति करनी होगी और जहाँ भी लागू हो, एससी/एसटी के लिए संबंधित एवं उचित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(iv) कार्पस फंड श्रेणी के मामले भी इसी प्रावधान द्वारा कवर किए जाएंगे।

(v) ऐसे मामलों में, अन्य सूचीबद्ध उम्मीदवारों और मृतक/विकलांग एलओआई धारक के वैध उत्तराधिकारी को पर्याप्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से वैध उत्तराधिकारी का साक्षात्कार लिया जाएगा और डीलर चयन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार चयन समिति द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

(vi) उपरोक्त अंकों को प्रदान करने और शेष आवेदकों की पूर्व अंक तालिका के आधार पर एक नई मेरिट लिस्ट (योग्यता सूची) बनाई जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ पूर्व एलओआई को निरस्त करने के बाद नई एलओआई जारी की जाएगी।

2.4 रिटेल आउटलेट के विकास के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा आवश्यक भूमि के मामले में एससी/एसटी डीलरशिप में अल्पसंख्यक साझेदार को शामिल करना ।

जहाँ पर आरओ डीलरशिप एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत आबंटित की गई हैं, वहाँ रिटेल आउटलेट के विकास के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा आवश्यक भूमि के मामलों में ही सिर्फ उसी श्रेणी के अल्पसंख्यक साझीदार को शामिल करने की अनुमति होगी । आनेवाला साझीदार निम्नलिखित सभी शर्तों की पूर्ति करेगा।

(i) उक्त आरओ की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करना।

(ii) अपने नाम की स्पष्ट टाइटिल के साथ जमीन का मालिक और उक्त भूमि पर उसका भौतिक कब्ज़ा होना चाहिए।

(iii) अन्य परिवार के सदस्यों के साथ उसके द्वारा संयुक्त भूमि रखने के मामले में उसे भूमि के सभी संयुक्त धारकों से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार को पिता, माता, पति/पत्नी, लड़का (के) और लड़की (कियों) के रूप में परिभाषित किया गया है और

(iv) संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) को भूमि को लीज़ पर देने/बिक्री करने के लिए सहमत होना चाहिए।

ऐसे मामलों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

(i) एलओआई धारक के अनुरोध और डीलरशिप के लिए प्रस्तावित आने वाले साझेदार से डीलरशिप के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रचलित डीलर चयन मानदंड जैसे आयु, शिक्षा, मल्टीपल डीलरशिप मानकों, जाति प्रमाण-पत्र आदि के अनुसार डीलरशिप के लिए आने वाले साझेदार की पात्रता की पुष्टि के लिए आवेदन-पत्र की जाँच की जाएगी। एससी/एसटी लोकेशन होने के कारण "वित्त व्यवस्था की योग्यता" शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ii) भूमि को डीलर चयन नीति के अनुसार नामजद समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii) यदि भूमि को उपयुक्त पाया जाता है तो भूमि प्राप्त करने के लिए प्रचलित नीति के अनुसार बातचीत की जाएगी।

(iv) बातचीत की सफलता के पश्चात समिति द्वारा आनेवाले साझेदार का साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त डीलरशिप के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित उम्मीदवार की उपयुक्तता को प्रस्थापित किया जाएगा। ऐसे मामले में कोई भी अलग दस्तावेज आधारित मूल्यांकन या साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

2.5 अनुमोदन पश्चात्, बातचीत की शर्तों पर भूमि के प्रस्ताव की आईओसी की स्वीकृति की पुष्टि से संबंधित पत्र विद्यमान एलओआई धारक को प्रति के साथ आने वाले साझेदार को जारी किया जाएगा। लीज़ अथवा पूर्णतया बिक्री के द्वारा भूमि की प्राप्ति के पश्चात् संशोधित एलओआई जारी किया जाएगा।

2.6 सामान्य शर्तें :

(i) पर्याप्त निवेश एक जैसी समझ हेतु निम्न रूप में परिभाषित किया जाएगा:
"पर्याप्त निवेश का न्यूनतम अर्हता प्रतिफल होगा कि एलओआई धारक ने रिटेल आउटलेट/एलपीजी गोडाउन स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त भूमि की व्यवस्था की है और भूमि विकास कार्य जिसमें कंपाउन्ड की दीवार/फेन्सिंग शामिल है, को किया है ।"

(ii) पूर्ण और स्थायी अपंगता के कारण पुनर्गठन के अनुरोध को जिले के सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इससे संबंधित प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड की संस्तुतियों पर भी विचार किया जाएगा।

(iii) जहाँ कहीं भी एलओआई के स्थानांतरण का निर्णय प्रस्तावित आने वाले साझेदार के मूल्यांकन परिणाम पर आधारित है, साक्षात्कार से पूर्व प्रचलित मानकों (मूल एलओआई धारक के चयन के समय पर) के अनुसार एल-1 समिति के मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा।

(iv) एलओआई का स्थानांतरण मृत्यु/विकलांगता के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति की तारीख से छह महीनों के अंदर किया जाना चाहिए।

..4/-

3. संस्थापित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का पुनर्गठन

3.1 पुनर्गठन की अनुमति डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के पाँच वर्षों के बाद ही अल्पसंख्यक साझेदार(रों) को शामिल करने के लिए दी जाएगी।

3.2 अनुवर्ती पुनर्गठन पर पिछले पुनर्गठन की तारीख से पाँच वर्षों के बाद ही विचार किया जाएगा।

3.3 साझेदार डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को रखने के 10 वर्षों के बाद ही डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप से त्यागपत्र दे सकते हैं। साझेदार द्वारा त्यागपत्र देने की दशा में, शेष बचे हुए साझेदार(रों) को एक साथ मिलाकर उन्हें अपना कंट्रोलिंग स्टेक अर्थात् डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कम-से-कम 51% शेयर रखना होगा।

3.4 एकमात्र डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर की मृत्यु हो जाने के मामले में पुनर्गठन वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में किया जाएगा। फिरभी, यदि कोई भी वैध उत्तराधिकारी न हो अथवा वैध उत्तराधिकारी द्वारा अनिच्छा व्यक्त करने पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर दिया जाएगा।

3.5 किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने की दशा में, साझेदारी को मृतक साझेदार के वैध उत्तराधिकारी और जीवित साझेदार(रों) के साथ पुनर्गठित किया जाएगा। फिरभी, यदि कोई भी वैध उत्तराधिकारी न हो अथवा वैध उत्तराधिकारी द्वारा अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का पुनर्गठन जीवित साझेदारों के साथ किया जाएगा।

3.6 डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर की गंभीर बीमारी/दुर्घटना के कारण विकलांगता के मामले में चाहे वह अकेला या साझेदार हो पूर्णरूपेण और स्थायी अपंगता के परिणामस्वरूप जिससे वह कार्य करने अथवा किसी पेशा या व्यवसाय को करने में असमर्थ हो एक अल्पसंख्यक साझेदार को सम्मिलित किया जा सकेगा ।

3.7 **उपरोक्त 3.1 में यथा उल्लिखित 5 वर्षों की कालावधि का प्रतिबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :**

i) प्रोप्राइटर/पार्टनर की मृत्यु/विकलांगता के कारण पुनर्गठन की आवश्यकता

ii) एकमात्र प्रोप्राइटरशिप में यदि प्रोप्राइटर की आयु 60 वर्षों से ऊपर है अथवा सुरक्षा कार्मिक की एक विधवा है।

3.8 संस्थापित डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पुनर्गठन के अनुरोध का निपटान पैरा 6 में लिए गए कार्यविधि / मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

4 एससी / एसटी डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बाह्य श्रेणी साझेदार का समावेश

4.1 एससी / एसटी श्रेणी से संबंधित डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रतियोगिता / विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से वित्त / सुविज्ञता की आवश्यकता पर निर्भर रहते हुए डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर अपनी श्रेणी से बाहर के किसी अल्पसंख्यक साझेदार का समावेश कर सकेगा। ऐसे मामलों में, एससी / एसटी डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर अपनी श्रेणी से बाहर के अल्पसंख्यक साझेदार (रों) को समाविष्ट कर सकेगा। फिर भी, किसी भी

..5/-

समय पर अर्थात् पुनर्गठन के पहले अथवा बाद में श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयर होल्डिंग जिसके अंतर्गत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गई थी कुल शेयरों की कम से कम 75% होनी चाहिए। यदि एससी/एसटी डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के गैर एससी/एसटी पति/पत्नी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में उनका शेयर एससी/एसटी शेयर के रूप में गिना जाएगा।

4.2 ऐसे मामलों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

i) डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त अनुरोध और डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन के आधार पर ऐसे पुनर्गठन और प्रचलित डीलर चयन मानदंडों जैसे आयु, शिक्षा मल्टीपल डीलरशिप मानक आदि के अनुसार डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आने वाले साझेदार की पात्रता की पुष्टि के लिए आवेदन की जाँच की जाएगी।

ii) एक साक्षात्कार समिति प्रचलित डीलर चयन मानदंड (प्रस्ताव की उपयुक्तता की पुष्टि के लिए भूमि और इन्फ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर सभी पैरामीटरों पर मूल्यांकन किया जाएगा) के अनुसार आनेवाले साझेदार का मूल्यांकन करेगी।

iii) जहाँ आनेवाला साझेदार वित्त में न्यूनतम 60% अंक और कुल योग का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करता है, के मामले में प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए आगे संसाधित (प्रोसेस) किया जाएगा।

5 पुनर्गठन की सामान्य शर्तें :

5.1 सभी आनेवाले साझेदारों को विभिन्न मानदंडों जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता, मल्टीपल डीलरशिप मानक आदि से संबंधित सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए करनी होगी।

5.2 फिरभी, आयु एवं शिक्षा में छूट का निम्नलिखित मामलों में विचार किया जा सकता हैं :

i) **आयु में छूट** का विचार डीलर की मृत्यु / पंगुता (विकलांगता) के कारण होने वाले पुनर्गठन के अनुरोध के मामले में (प्रचलित डीलर चयन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) वैध उत्तराधिकारियों / 'परिवार' सदस्य के पक्ष में किया जा सकता है। वैध उत्ताराधिकारी के नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु होने की दशा में, जब तक वैध उत्तराधिकारी बालिग नहीं हो जाता है डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन स्थानीय संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

ii) **शैक्षिक योग्यता में छूट** का विचार डीलर की मृत्यु / पंगुता (विकलांगता) के कारण होने वाले पुनर्गठन के अनुरोध के मामले में (प्रचलित डीलर चयन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) वैध उत्तराधिकारियों / 'परिवार' सदस्य के पक्ष में किया जा सकता है। वैध उत्तराधिकारी के नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) होने की दशा में जब तक वैध उत्तराधिकारी बालिग नहीं हो जाता है डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन स्थानीय संरक्षक द्वारा किया जाएगा। फिर भी, उम्मीदवार को पढ़ना, लिखना और गिनना आना चाहिए।

..6/-

5.3 अन्य मामलों में, योग्यता पर निर्भर करते हुए, शैक्षिक योग्यता में छूट का विचार किया जा सकता है।

5.4 मल्टीपल डीलरशिप मानक के संबंध में यह मल्टीपल डीलरशिप मानक के अस्तित्व में आने से पूर्व स्थापित डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर लागू नहीं होगा । यह छूट डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के पति-पत्नी / बच्चों / पोता-पोती को ही सिर्फ उपलब्ध होगी।

5.5 पूर्ण और स्थायी अपंगता के कारण पुनर्गठन के अनुरोध पर विचार जिले के सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड की संस्तुतियों पर भी राज्य प्रमुख द्वारा विचार किया जा सकता है।

5.6 पुनर्गठन के लिए डीलरशिप की पात्रता पर विचार करने के लिए निम्न संदर्भ बिन्दु होंगे :

i) प्रथम पुनर्गठन के लिए स्थापना की तारीख ।

ii) अनुवर्ती पुनर्गठन के लिए किए गए पिछले करार की तारीख।
फिर भी, किए गए करार की प्रति उपलब्ध न होने पर पिछले पुनर्गठन के अनुमोदन की तारीख को गृहित माना जाएगा।

6 **पुनर्गठन की प्रक्रिया :**

स्थापित डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पुनर्गठन के निपटान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

6.1 **आवेदन पत्र :**

एक व्यापक एवं अनुलग्नकों का विवरण / अनुलग्नकों का फॉर्मेट देते हुए भरने में आसान आवेदन पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। पुनर्गठन के लिए आवेदन पत्र, दिए गए फॉर्मेट में संबंधित डीआरएसएम / एरिया प्रबंधक को पावती प्राप्त करते हुए प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र की पावती एक पहचान क्रमांक (डॉकेट नंबर) का संदर्भ देते हुए दी जाएगी।

6.2 डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर को सूचना :

सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर आवेदनकर्ता को जानकारी प्रेषित की जाएगी ।

i) प्रस्ताव के अस्वीकार करने का कारण (पात्रता मानक पर)

ii) दस्तावेजों में कमियाँ, सही / अतिरिक्त दस्तावेजों को पुन: प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ कि आगे की कार्रवाई पूर्ण प्रस्ताव / अतिरिक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही शुरू की जाएगी, सूचित किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव/ दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् नया डॉकेट नंबर दिया जाएगा।

iii) सभी मामलों में प्रस्ताव के उपयुक्त पाए जाने पर सभी वर्तमान साझेदारों के साथ प्रस्तावित आनेवाले साझेदार को डीआरएसएम / एएम के साथ बैठक और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डिवीजनल कार्यालय / एरिया कार्यालय में भेंट देने की तारीख एवं समय क बारे में सूचित किया जाएगा।

..7/-

6.3 साझेदारों के साथ बैठक :

बैठक की तारीख पर सभी वर्तमान और प्रस्तावित आने वाले साझेदार(रों) की व्यक्तिगत पहचान फोटोसहित पहचानपत्र की जाँच के साथ की जाएगी और पात्रता मानदंड के संबंध में मूल दस्तावेजों को भी सत्यापित किया जाएगा। इसके पश्चात् डीआरएसएम/एएम के साथ सभी वर्तमान और आने वाले साझेदारों की बैठक की जाएगी।

6.4 प्रस्ताव का निपटान

बैठक के बाद, प्रस्तावों को "सिंद्धान्ततः अनुमोदन" सूचित करते हुए निपटाया जाएगा और फर्म द्वारा 60 दिनों का समय देते हुए दस्तावेजों के निष्पादन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्तता की जाएगी। प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए अपूर्ण और उपयुक्त न पाए जाने पर प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के कारणों को देते हुए उपयुक्त उत्तर के साथ निपटा दिया जाएगा।

प्रस्तावों के डीएम/एएम के प्राधिकार में न होने पर उसे राज्य कार्यालय को 7 दिनों के अंदर राज्य कार्यालय की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

7 <u>शुल्क</u>

7.1 आवेदन प्रक्रिया शुल्क :

पुनर्गठन के लिए रू. 25,000/- की गैर वापसी योग्य आवेदन प्रक्रिया शुल्क सभी मामलों में आवेदन पत्र के साथ देय होगा, सिवाय (क) प्रोप्राइटर/ साझेदार(रों) की मृत्यु/विकलांगता के कारण होने वाले पुनर्गठन के मामले में और जहाँ आने वाले साझेदार, साझेदारी में वही शेयर रखने का प्रस्ताव करते हों जो मृतक के पास था। (ख) एससी/एसटी और अन्य कॉर्पस फंड श्रेणी से संबंधित डीलरशिप । फिरभी, एससी/एसटी डीलरशिप में बाह्य श्रेणी साझेदार को सम्मिलित करने के मामले में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।

7.2 पुनर्गठन शुल्क :

प्रचलित सिक्युरिटी डिपॉजिट के समकक्ष गैर वापसीयोग्य पुनर्गठन शुल्क (पुनर्गठन अनुमोदन के समय नई डीलरशिप के लिए जैसा लागू हो) करार के निष्पादन के पहले वसूल किया जाएगा। फिरभी, पुनर्गठन शुल्क निम्नलिखित मामलों में नहीं लिया जाएगा :

(i) प्रचलित डीलर चयन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा परिभाषित "परिवार" में से साझेदार को सम्मिलित करना ।

(ii) डीलर (रों) की मृत्यु/विकलांगता के बाद वैध उत्तराधिकारी को सम्मिलित करना बशर्ते कि आने वाले साझेदार उतना ही शेयर साझेदारी में रखने का प्रस्ताव करते हों जितना कि मृतक/विकलांग डीलर के पास था।

(iii) एससी/एसटी डीलरशिप के लिए एससी/एसटी श्रेणी से साझेदार को सम्मिलित करना।

..8/-

8. **आवेदन-पत्रों का सामयिक निपटान :**
प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 महीनों के अन्दर वरीयता के साथ निपटाए जाएंगे।

9. **शिकायत निवारण**
पुनर्गठन के मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर आवेदनकर्ता अपनी याचिका राज्य प्रमुख को प्रस्तुत करेगा, जो शिकायत की जाँच करेगा और मामले का निपटारा उसकी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की कालावधि के अन्दर करेगा।